**संख्या- 09 /2019/पी-09/अड़तीस-9-2019-10(पीएमजीएसवाई)/2003टी0सी0-।**

**प्रेषक,**

**टी0के0 शिबु,**
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

**सेवा में,**

**मुख्य कार्यपालक अधिकारी,**
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण,
लखनऊ।

**ग्राम्य विकास अनुभाग-9** **लखनऊ : दिनांक- 31जनवरी, 2019**

**विषय-** उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के संचालन हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी के सृजित पद की क्रमागत निरन्तरता के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-4029/ए-157टी0सी0/यूपीआरआरडीए/2006, दिनांक-19.12.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के नि:संवर्गीय एक पद, जो शासनादेश संख्या-पी-218/अड़तीस-9-2013-10(पीएमजीएसवाई)/2003, दिनांक-30.09.2013 द्वारा दिनांक-28.02.2014 तक के लिये अस्थायी रूप से सृजित किया गया था और शासनादेश संख्या-5/2018/पी-890/अड़तीस-9-2017-10(पीएमजीएसवाई)/2003टीसी-1 दिनांक-19.02.2018 द्वारा अन्तिम बार क्रमागत निरन्तरता दिनांक-28.02.2019 तक बढ़ायी गयी थी, की क्रमागत निरन्तरता दिनांक-29.02.2020 तक बढ़ाये जाने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, बशर्ते की प्रश्नगत पद बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय।

**2-** इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-04-प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना-0401-उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की स्थापना-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

**3-** यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-2574/दस-98-24(8)/92, दिनांक-02.12.1998 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

**भवदीय,**
**टी0 के0 शिबु**
विशेष सचिव।

**-2/**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**संख्या-09 /2019/पी-09(1)/अड़तीस-9-2019, तददिनांक।**

**प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-**

**1-** अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।

**2-** महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0 इलाहाबाद।

**3**- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

**4-** वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (लेखा) अनुभाग-2

**5-** वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

**6**- गार्डबुक।

**आज्ञा से**,

**विजय बहादुर वर्मा**
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।